कार्यालय नगर पालिका परिषद, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

नीलामी-सूचना

(टैक्सी टैम्पो स्टैण्ड वर्ष 2017-18)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, अकबरपुर सीमान्तर्गतः टैक्सी—टैम्पो स्टैण्ड की नीलामी वर्ष 2017—18 (दिनांक 01—04—2017 से 31—03—2018 तक के लिये) दिनांक—29—03—2017 समय 02.00 बजे अपरान्ह नगर पालिका परिषद, अकबरपुर कार्यालय स्थिति सभागार भवन में होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को नगर पालिका परिषद, अकरबपुर द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति जो शर्तों को पूरा करते हैं, नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

- 1. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 28—03—2017 को रु0—30.00 लाख (तीस लाख) की सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण—पत्र एवं रु0—2,00,000.00 (दो लाख रुपये) की धनराशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर के पक्ष मे देय होगा की जमानत तथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमाकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 2. सर्वाधिक बोली बोलने वाले को नीलामी के उपरान्त नीलामी धनराशि का 2/3 (दो तिहाई) धनराशि तुरन्त नगद/ड्राफ्ट जो अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अकबरपुर के पक्ष में देय हो जमा करना होगा। किसी भी दशा में चेक स्वीकार नही किया जायेगा।
- 3. नीलामी धनराशि के शेष 1/3(एक तिहाई) धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। पुनः नीलामी होने पर होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी पूर्व मे नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।
- 4. नीलामी स्वीकृत उपरान्त नीलामी राशि पर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प जमा कर अनुबन्ध करने की जिम्मेदारी नीलामी लेने वाले की होगी, साथ में दो जमानते भी देनी होगी।
- 5. टेकेदार द्वारा अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों की सूची पते एवं फोटो सिहत नीलामी स्वीकृत के तुरन्त बाद प्रस्तुत की जायेगी, जो टेकेदार के स्थान पर वाहनों से वसूली करेंगे।
- 6. ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित दरों से ही वसूली करेंगे तथा प्राप्ति रसीद तत्काल वाहन चालकों को निर्गत की जायेगी।
- ठेकेदार ठेके के सम्बन्ध में आय—व्यय का दैनिक विवरण रखेगा और नगर पालिका अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करेगा।
- वसूली हेतु प्रयुक्त होने वाले रसीद बुकें ठेकेदार स्वयं छपवायेगा, रसीद पर धनराशि का अंकन स्पष्ट होना अवश्यक है।
- निर्धारित अविध में धन न जमा किये जाने की स्थिति में नगर पालिका प्रशासन को यह अधिकार होगा कि ठेका निरस्त कर के पुनः नीलामी करें अथवा अपनी व्यवस्था से वसूली सुनिश्चित करायें।



- 10. नीलामी बोली को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर में निहित होगा।
- 11. सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा शर्तानुसार धन न जमा किया गया तो नगर पालिका प्रशासन को यह अधिकार होगा कि सर्वाधिक बोली बोलने वाले की जमानत धनराशि जब्त कर पुनः नीलाम करें, अथवा अपनी व्यवस्था से वसूली सुनिश्चित कराये।
- 12. ठेके की अवधि दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2018 तक के लिये होगी।
- 13. वित्तीय वर्ष के मध्य में ठेकेदार द्वारा ठेका छोड़ने पर अथवा पालिका शर्तों का उल्लघंन करने के कारण ठेका निरस्त होने पर पुनः ठेके की नीलामी से पालिका को होने वाले नुकसान की वसूली भी पूर्व नीलामी लेने वाले से की जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद अकरबपुर—अम्बेडकरनगर। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अकरबपुर—अम्बेडकरनगर।

पत्रांक— ६२८ / टैक्सी—टैम्पू स्टैण्ड नीलामी / 2016 प्रतिलिपि:—

दिनांक 14-03-201

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र हिन्दु स्तान का का इस आशय से कि उपरोक्त सूचना आगमी अंक में प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2. नृजिर कलक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को सूचना पट पर चस्पा हेतु।

- नाजिर तहसील, अम्बेडकरनगर को सूचना पट पर चस्पा हेतु।
 - नगर पालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5. सम्बन्धित पत्रावली पर।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद

अकरबपुर—अम्बेडकरनगर।